भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1562

दिनांक 28 जुलाई, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रदर्शन

1562. श्री फ़िरोज़ वरुण गांधी:
श्री जनार्दन मिश्र:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने तम्बाकू उत्पादों के प्रदर्शन तथा ओवर- द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफामों पर तम्बाकू विज्ञापनों के प्रदर्शन को विनियमित करने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद संशोधन (सीओटीपीए) नियम, 2023 को अधिसूचित किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का तंबाकू उत्पादों के प्रदर्शन तथा ओटीटी प्लेटफामों पर तंबाकू विज्ञापनों के विनियमन हेतु इन नियमों को अधिसूचित करके एक वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है;
(घ) क्या सरकार को इन नियमों के संबंध में विशेषकर इसके महत्व और प्रासंगिकता के संबंध में कोई फीडबैक प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार के पास ओटीटी प्लेटफार्मों द्वारा समयबद्ध तरीके से नियमों के अनुपालन में सक्षम बनाने हेतु उनके साथ जुड़ने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने दिनांक 31 मई, 2023 के जीएसआर सं. 400 (अ) के माध्यम से सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) (सीओटीपी) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किया है, जिसके तहत तंबाकू उत्पादों या उनके प्रयोग को प्रदर्शित करने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड विषय वस्तु के प्रत्येक प्रकाशक को (क) कार्यक्रम के प्रारंभ और मध्य में प्रत्येक में न्यूनतम तीस सेकंड की अवधि का तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य स्पॉट प्रदर्शित करने; (ख) कार्यक्रम में तंबाकू उत्पादों या उनके प्रयोग के प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे एक प्रमुख स्थिर संदेश के रूप में तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित करने; (ग) कार्यक्रम के प्रारंभ और मध्य में तम्बाकू के प्रयोग के दुष्प्रभावों के संबंध में कम से कम बीस सेकंड की अवधि का एक दृश्य-श्रव्य अस्वीकरण प्रदर्शित करने का अनुपालन करना होगा ।
मंत्रालय ने [सीओटीपी] संशोधन नियम, 2023 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ हितधारक परामर्श किया था।

*****